



विवरण 6: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2005-06 (लेखा)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / एनएसएस एफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम राशि	उचित और विविध	विशेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (को 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. ओन्न प्रदेश	1,383	-61	4,834	822	481	33	1,223	2,796	233	-3,445	1	8,300
2. अरुणाचल प्रदेश	343	-443	777	5	365	440	415	-37	30	2,108	-302	3,700
3. छत्तीसगढ़	-85	-108	981	5	-19	139	115	-20	-15	-1	-565	425
4. गोवा	66	-23	604	-6	47	8	-7	67	16	-12	-156	603
5. गुजरात	353	770	7,824	84	258	32	459	-760	9	434	-3,195	6,270
6. हरियाणा	387	-60	1,851	44	355	14	158	-829	44	20	-1,697	286
7. झारखंड	106	-135	503	593	153	-	133	52	-18	650	2,881	4,918
8. कर्नाटक	166	609	3,969	171	656	150	-368	522	40	-23	-2,204	3,687
9. केरल	1,456	7	2,649	109	50	118	-29	374	-37	27	-544	4,182
10. मध्य प्रदेश	944	-96	2,974	494	1	145	595	58	39	-117	-464	4,572
11. महाराष्ट्र	1,147	-35	15,733	222	587	1,019	1,425	-592	-177	716	-2,414	17,630
12. उड़ीसा	103	-533	1,385	168	1,348	-180	149	135	4	14	-2,318	276
13. पंजाब	978	-136	3,274	-315	389	191	-85	21	-11	-51	-1,599	2,656
14. राजस्थान	643	273	3,396	310	1,377	-36	429	-28	-13	-119	-1,081	5,150
15. तमिलनाडु	1,214	140	6,094	426	328	-74	-7	1,085	138	-579	-6,514	2,251
16. उत्तर प्रदेश	2,007	35	6,734	234	1,960	3,162	3,339	755	140	136	-8,424	10,078
17. प.बंगाल	1,268	-239	6,654	-1	288	129	-1,242	4,040	-5	1,197	-2,487	9,601
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	286	-11	105	52	113	9	21	-90	22	-107	-144	256
2. असम	718	-45	618	72	386	-184	-51	-275	15	-26	-1,582	-356
3. हिमाचल प्रदेश	425	-28	803	36	310	13	103	5	116	-739	-322	720
4. जम्मू और कश्मीर	152	206	600	323	550	98	-250	15	-	-106	-	1,588
5. मणिपुर	189	-38	127	5	150	8	437	-74	-237	-	-295	271
6. मेघालय	131	-15	55	13	44	-	162	-10	-4	4	-201	179
7. मिजोरम	100	-9	26	-3	99	-9	-2	92	71	41	-8	397
8. नागालैंड	214	-13	11	37	4	-3	-46	-27	-32	60	101	306
9. सिक्किम	88	-6	17	15	13	3	3	11	-56	-2	63	149
10. त्रिपुरा	119	-23	198	-5	70	7	-10	66	-42	-112	-157	110
11. उत्तराखंड	404	-23	1,018	145	100	-1	196	558	-217	16	-318	1,878
सभी राज्य	15,305	-44	73,815	4,055	10,463	5,228	7,262	7,911	51	-16	-33,947	90,084
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-165	5,838	-	-	-	-	-	-	-	-5,918	-245
2. पुदुचेरी	-	268	-1	-	-	-	-	-	-	-	12	279

'-': नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।